न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी0सी.–2 अमरोहा

सत्र परीक्षण संख्या– 289/2016

राज्य प्रति अली हसन आदि

अ0सं0– 75/2016

धारा 147, 148, 323, 336, 504, 307 भा0दं0सं0 व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट

थाना– आदमपुर

जिला अमरोहा

आरोप

मैं, सुरेश चन्द–I, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय अमरोहा, आप अभियुक्तगण **अली हसन, कामिल, मेहदी हसन, शाहिद, अहसान, लियाकत, सहरान, सरताज, जीशान व सर्वेश** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथम– यह कि दिनांक 15.02.2016 को समय 9:30 बजे स्थान ग्राम खेलिया पट्टी में चुनावी रंजिश के कारण आप सभी अभियुक्तगण ने आपराधिक उद्देश्य के लिये विधि विरूद्ध जमाव किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धार 147 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर यह विधि विरूद्ध जमाव आपने सुसज्जित हथियारों के साथ किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी पक्ष को ईंट, पत्थर व रोड़ों से चोटे पहुॅचायी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने प्रधान पद के प्रत्याशी सर्वेश पुत्र गजेन्द्रपाल यादव पर जान से मारने की नियत से फायर किया, आपने ऐसा कृत्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 307/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने ऐसा कृत्य किया जो मानव जीवन के लिये संकट उत्पन्न हो गया था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 336/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्ठ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी पक्ष को गन्दी–गन्दी गालियॉ देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया जो धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूॅ कि उक्त आरोप में इस न्यायालय द्वारा आपका विचारण किया जायेगा।

एस0डी0/–

दिनांकः 08.12.2017 सुरेश चन्द– I

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 2

अमरोहा

उक्त आरोप मेरे द्वारा अभियुक्तगण को पढकर सुनाये गये, जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

एस0डी0/–

दिनांकः 08.12.2017 सुरेश चन्द– I

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 2

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी0सी.–2 अमरोहा
सत्र परीक्षण संख्या– 289/2016
राज्य प्रति अली हसन आदि

आदेश

दिनांक 08.12.2017– पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **अली हसन, कामिल, मेहदी हसन, शाहिद, अहसान, लियाकत, सहरान, सरताज, जीशान व सर्वेश** अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में हाजिर आये। मैंने आरोप के निर्धारण के प्रश्न पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी केस डायरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 323, 336, 504, 307 भा0दं0सं0 व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के अन्तर्गत आरोप निर्धारण किये जाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण **अली हसन, कामिल, मेहदी हसन, शाहिद, अहसान, लियाकत, सहरान, सरताज, जीशान व सर्वेश** के विरूद्ध धारा 147, 148, 323, 336, 504, 307 भा0दं0सं0 व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट भा0दं0सं0 का आरोप निर्धारित किया जाता है।

एस0डी0/–

सुरेश चन्द–।
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–2,
अमरोहा